

4261/2019

Prateek Upadhyay  
OFFICER - TRAINEE  
SHCIL - MATHURA



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP05824447776329R  
Certificate Issued Date : 22-Mar-2019 03:29 PM  
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ MATHURA/ UP-MTH  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0106946957210556R  
Purchased by : MESSERS MAHARAJA REALTORS  
Description of Document : Article 23 Conveyance  
Property Description : MOUZA GIRDHARPUR TEHSIL AND DISTT MATHURA  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : PILLU  
Second Party : MESSERS MAHARAJA REALTORS  
Stamp Duty Paid By : MESSERS MAHARAJA REALTORS  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 19,18,800  
(Ninteen Lakh Eighteen Thousand Eight Hundred only)



*(Handwritten signature)*

50,00000/- 30/4/2020  
1,55,70000/- 30/9/2020

.....Please write or type below this line.....

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*



TQ 0011513545

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



उत्तर प्रदेश UTTAR

006 CW 442006

15 MAR 2019

॥ ओउम सिद्धिदात्री नमः ॥

लेखपत्र/विक्रयपत्र आराजी का संक्षिप्त विवरण-

1. भूमि का प्रकार : कृषि
  2. स्थित : मौजा गिरधरपुर, तहसील व जिला मथुरा।
  3. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : बिक्रय रकवा 1.1250 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश
  4. सड़क की स्थिति : सड़क, खरंजा व आबादी से दूर स्थित है।
  5. प्रतिफल की धनराशि : 2,81,25,000/-रुपये
  6. मालियत : 2,81,25,000/-रु.
  7. देय स्टाम्प : 19,68,800/-रु. जिसमें जनरल स्टाम्प-50000/-रु व 19,18,800/-रु का ई-स्टाम्प दिनांकित- 22.03.2019 जो इस प्रलेख के साथ संलग्न है।
  8. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट -2,50,00,000/-रुपया प्रति हैक्टेअर, जो पेज नं. कोड पर दर्ज है।
- कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक । मथुरा।

(अपरा)

विश्व दान सिंह



निबन्धक



अरुण सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 442007 CW 442007

3

15 MAR 2019

प्रथम पक्ष की संख्या : (2)

विक्रेताओं का विवरण

दानसिंह व पिल्लू पुत्रगण श्री जगन्नाथ उर्फ जुगनू निवासीगण—ग्राम सतोहा  
असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा

द्वितीय पक्ष की संख्या : (1)

क्रेता का विवरण

मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स मथुरा पंजीकृत फर्म क्रमांक ए जी-12530  
दिनांक 27.05.2014 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/पार्टनर नरेन्द्र सिंह पुत्र  
श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीखूंगरा तहसील व जिला  
मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाउस, आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़  
मथुरा।

पैन : ए ए जेड एफ एम 1342 सी – मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स मथुरा  
मो0-8859404056

दान सिंह

पिल्लू



नरेन्द्र सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 442008 CW 442008

(4)

15 MAR 2019

जोकि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष 1423-1428 के अनुसार खाता संख्या- 00058 खसरा संख्या 84 रकवा 0.4800 हैक्टेअर व खसरा नम्बर-83 रकवा-0.6450 है0 कुल रकवा-1.1250 है0 सम्पूर्ण अंश लगानी कागजातानुसार स्थित मौजा गिरधरपुर, तहसील व जिला मथुरा, सम्पूर्ण अंश आराजी मिल्कियत विक्रेताओं प्रथम पक्ष की आराजी भूमिधरी है, जिस पर प्रथम पक्ष विक्रेताओं का ही कब्जा है तथा उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष विक्रेताओं ही बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चले आते है तथा प्रथम पक्ष विक्रेताओं का ही नाम राजस्व अभिलेखों व सरकारी कागजात नकल खतौनी आदि में दर्ज हैं। सिवाय प्रथम पक्ष विक्रेताओं के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा प्रथम पक्ष को उक्त आराजी की बाबत पूरे मालिकाना काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त

मिन्दान सिंह



मिन्दान सिंह



मिन्दान सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 442009 CW 442009

15 MAR 2019

5

आराजी न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त आराजी के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रुकावट डाल सके, यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे व जमानत आदि से आराजी साफ तन्हा प्रथम पक्ष विक्रेताओं की ही आराजी भूमिधरी है। उक्त आराजी से प्रथम पक्ष को कोई खास लाभ व आय नहीं है तथा काश्त से भी अच्छी आय नहीं हो पाती है और विक्रेताओं प्रथम पक्ष को अपने व अपने परिवार की जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष विक्रेताओं ने अपनी आराजी को विक्रय कर देना उचित समझा है। उक्त आराजी के विक्रय से प्राप्त धनराशि को वहीं और निवेश कर देने से प्रथम पक्ष को एक अच्छी व नियमित आय हो जावेगी और इस समय द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को

मि. अनिल सिंह



मि. अमित



मि. अमित





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 442010 CW 442010

(6)

तैयार है, इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष विक्रेताओं का सरासर लाभ है। उक्त आराजी बैंक में बंधक है तथा बैंक ऋण चुक्ता कराने की पूरी जिम्मेदारी विक्रेताओं की है। अतः उक्त आराजी भूमिधरी बिक्रय रकवा 1.1250 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश भूमि जिसको संलग्न नक्शा मानचित्र में रंग लाल से दर्शाया गया है, को समस्त हकूक व अधिकारो सहित जो प्रथम पक्ष विक्रेताओं को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के समस्त राईट्स व इन्ट्रेस्ट व गुड टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित वखुशी बराजी अपने बरेवज 2,81,25,000/-रु. ( दो करोड़ इक्यासी लाख पच्चीस हजार रुपये) में बदस्त मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स मथुरा पंजीकृत फर्म क्रमांक ए जी-12530 दिनांक 27.05.2014 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/पार्टनर नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा तहसील व जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाउस, आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ मथुरा, खरीदार द्वितीय पक्ष फर्म के हक में बेच दी और बिक्री कर दी और

नि. दान सिंह नि. धीराम



नरेन्द्र सिंह



उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

CW 442011 CW 442011

(7)

कीमत का कुल रूपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष फर्म से निम्न भाँति प्राप्त करके व कुल रुपये की प्राप्ती होना अंगीकार कर कब्जा व दखल बेची गयी आराजी रकवा 1.1250 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश भूमि पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष फर्म बेची गयी उक्त आराजी पर आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गयी। वह समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे। अब बेची गयी उक्त आराजी से प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। खरीदार द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को चाहें जिस प्रकार से प्रयोग करे और जो चाहे सो करे, इसमें प्रथम पक्ष विक्रेताओं व उसके वारिसों को कुछ उज्र न होगा। यदि बेची गयी आराजी का जुज या कुल हिस्सा खरीदार से निकल जावे, या उसकी बाबत

निदान रोह ले.पि.न.



ने.ह.सि.त





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 442012 CW 442012

15.12.2019

(8)

कहीं रहन व गिरवी आदि निकले या खरीदार द्वितीय पक्ष को उसकी बाबत कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े, तो उस सबकी बिक्रेता प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी तथा खरीदार अपना मूल्य का कुल रूपया व समस्त हर्जा-खर्चा बिक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसान से वसूल करने के अधिकारी होंगे। बेची गयी आराजी विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है। विक्रेताओं व खरीदार दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। विक्रयशुदा भूमि किसी भी ग्रामसभा सीलिंग भूदान आदि के पट्टा आबंटन की भूमि नहीं है और उक्त आराजी में कोई पेड बोरिंग कुँआ, ट्यूब्वेल आदि नहीं है। बेची गयी आराजी के 200 मीटर त्रिज्या में आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक गतिविधियाँ विद्यमान नहीं है तथा खेती हो रही है। अतः यह बैनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से पूर्ण स्वस्थचित्त होशो-हवास में बिना किसी दबाब के स्वेच्छापूर्वक खूब सोच समझकर बिना किसी दबाब के लिख दिया, कि प्रमाण

निन्दाम सिंह नि.वि.न.क



बे. इ. सिंह



आवेदन सं०: 201900764011215

0005

विक्रय पत्र


बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4261

वर्ष: 2019

प्रतिफल- 28125000 स्टाम्प शुल्क- 1968800 बाजारी मूल्य - 28125000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 20080

जनरल  
 48 22/3/19  
 श्री लालसिंह  
 पुत्र श्री जगदीश अर्जुन कुमार शर्मा  
 व्यवसाय: अन्य  
 निवासी: ग्राम सत्तेहा असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा।  
 अरविन्द कुमार रत्न विप्लवा



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/03/2019 एवं 04:17:29 PM बजे  
 निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

खलील अहमद (प्रभारी)

उप निबंधक : सदर प्रथम

मथुरा

22/03/2019

सतीश चौधरी,

कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित



आवेदन सं०: 201900764011215

0005

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4261

वर्ष: 2019



निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

जनरल स्टाम्प कीट

श्री दानसिंह, पुत्र श्री जगन्नाथ उर्फ जुगनू

निवासी: ग्राम सतोहा असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा।

व्यवसाय: अन्य

अरविन्द कुमार विक्रेता: 2

ला०नं० 11, रजिस्ट्री

श्री पिल्लू, पुत्र श्री जगन्नाथ उर्फ जुगनू

निवासी: ग्राम सतोहा असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा।

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

श्री मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स मथुरा के द्वारा नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री महाराज सिंह जी

निवासी: ग्राम पालीडूंगरा, जिला मथुरा हाल निवासी- महाराजा हाउस, अनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1

श्री सोरनलाल शर्मा, पुत्र श्री स्व० नथीलाल

निवासी: सतोहा असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा।

व्यवसाय: अन्य





पहचानकर्ता: 2

श्री अमर सिंह, पुत्र श्री भगवान सिंह

निवासी: पालीडूंगरा, तहसील गोवर्धन जिला मथुरा।

व्यवसाय: अन्य

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे  
नियमानुसार लिए गए हैं।  
टिप्पणी:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

खलील अहमद (प्रभारी)  
उप निबंधक : सदर प्रथम  
मथुरा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 442014 CW 442014

10

विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का-

मूल्य का कुल 2,81,25,000/- रु विक्रेताओं ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किए कि-

- 18,88,000/- रुपये चैक नम्बर-295750 दिनांक-22.03.2019 केनरा बैंक बनाम दान सिंह  
18,88,000/- रुपये चैक नम्बर-295751 दिनांक-22.03.2019 केनरा बैंक बनाम दान सिंह  
25,00,000/- रुपये चैक नम्बर-295752 दिनांक-30.04.2020 केनरा बैंक बनाम दान सिंह  
20,00,000/- रुपये चैक नम्बर-295753 दिनांक-30.09.2020 केनरा बैंक बनाम दान सिंह  
20,00,000/- रुपये चैक नम्बर-295754 दिनांक-30.09.2020 केनरा बैंक बनाम दान सिंह  
20,00,000/- रुपये चैक नम्बर-295755 दिनांक-30.09.2020 केनरा बैंक बनाम दान सिंह  
17,85,000/- रुपये चैक नम्बर-295756 दिनांक-30.09.2020 केनरा बैंक बनाम दान सिंह  
18,88,000/- रुपये चैक नम्बर-295757 दिनांक-22.03.2019 केनरा बैंक बनाम पिल्लू  
18,88,000/- रुपये चैक नम्बर-295758 दिनांक-22.03.2019 केनरा बैंक बनाम पिल्लू  
25,00,000/- रुपये चैक नम्बर-295759 दिनांक-30.04.2020 केनरा बैंक बनाम पिल्लू  
20,00,000/- रुपये चैक नम्बर-295760 दिनांक-30.09.2020 केनरा बैंक बनाम पिल्लू  
20,00,000/- रुपये चैक नम्बर-295761 दिनांक-30.09.2020 केनरा बैंक बनाम पिल्लू  
20,00,000/- रुपये चैक नम्बर-295762 दिनांक-30.09.2020 केनरा बैंक बनाम पिल्लू  
17,85,000/- रुपये चैक नम्बर-295763 दिनांक-30.09.2020 केनरा बैंक बनाम पिल्लू  
3,000/- रु नगद वक्त रजिस्ट्री बैनामा के प्राप्त किए।

दान सिंह



पिल्लू



रजिस्ट्री





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 442015 CW 442015

11

यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

निदान सिंह

सिद्धि



सोहनलाल शर्मा



दिनांक : 22.03.2019

टाईप किया: मु0 इमरान

ड्राफ्ट किया: नितिन बंसल कातिब रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा।

साक्षी—

1. सोहनलाल शर्मा पुत्र स्व0 नत्थीलाल  
निवासी—सतोहा असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा



सोहनलाल शर्मा



2. अमर सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह  
निवासी—पालीडूंगरा, तहसील गोवर्धन जिला मथुरा

3. मनोज पुत्र श्री पिल्लू  
निवासी—सतोहा असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा

अमर सिंह



आवेदन सं०: 201900764011215

0008

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 14765 के पृष्ठ 189 से 212 तक  
क्रमांक 4261 पर दिनांक 22/03/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



जनरल स्टाम्प की०

क्र०सं० 52 ता० 22/3/19

सं० पुन/पत्नी श्री


स०स० 50 लि०

अरविन्द कुमार स्टाम्प विक्रेता  
सा०नं० 11, रजिस्ट्री आफिस, मथुरा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

खलील अहमद (प्रभारी)  
उप निबंधक : सदर प्रथम  
मथुरा  
22/03/2019

नकशा नदारी बाकि भोजा। गिर धा पु  
 रकारान. 84 व 83 विडपर कथा. 1.1250  
 हं. अर्थक कं 21  
 नि 3 वा. दानाहिदं व पि लक्ष्



नि-दानाहिदं

नि-विलक्ष्

नकशा